

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

मौजामौज अधिकारी श्री वीरमा राम, बाड़मेर

क्रमांक - 100/2024/6830-33

प्राणी

बनाम

दिनांक - 20/12/24

अपराधीपण


कुम्भाराम पुत्र खरथाराम  
सोनाराम पुत्र सोनाराम  
पिसराण सोनाराम  
जातियान जाट  
निवासीयान दुर्गाणियों का तला पटवार हल्का साईयों का तला, तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

1. गंगाराम 2. तुनाराम पिसराण कंगाराम 3. दाजो फली कंगाराम 4. कुम्भाराम पुत्र गंगाराम 5. पु. खया देवी फली कंगाराम 6. गुरगण 7. वैनाराम पिसराण खनुराम 8. पुरखाराम 9. प्रह्लाद राम 10. कुम्भाराम पिसराण मुखाराम 11. सुनी देवी फली सोनाराम 12. सोनाराम 13. गंगाराम 14. हनुमानराम पिसराण मालाराम 15. देवाराम पुत्र जातराम जातियान जाट निवासीयान दुर्गाणियों का तला, पटवार हल्का साईयों का तला, तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर 16. देवाराम पुत्र कंगाराम 17. आईदानराम पुत्र नेनाराम 18. उमाराम 19. दीकूराम पिसराण हीरगम 20. लालू देवी फली ख. नेनाराम 21. देवाराम पुत्र हीरगम 22. मुकेश पुत्र नेनाराम 23. रामताराम पुत्र हीरगम 24. उदाराम पुत्र पीरगम 25. कानाराम पुत्र जोमाराम 26. मुडाराम पुत्र पीरगम 27. चौनाराम पुत्र गंगाराम 28. रामचन्द्र पुत्र ताजाराम 29. रामाराम पुत्र जोमाराम 30. रामाराम पुत्र ताजाराम 31. लालुराम दत्तक पुत्र मातीराम 32. रोजया मल्लि ताजाराम 33. नारणाराम पुत्र घर्माराम 34. खरथाराम पुत्र मुखाराम 35. मोटाराम पुत्र कुम्भाराम 36. गंगाराम पुत्र रुम्भाराम 37. देराजराम 38. हेमाराम पिसराण गंगाराम जातियान जाट निवासीयान साईयों का तला पटवार हल्का साईयों का तला, तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर। 39. तहसीलदार बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 586/2024 दिनांक- 09/12/24

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दुर्गाणियों का तला पटवार क्षेत्र साईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1650 रकबा 11.3988 हैक्टियर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
( वीरमा राम )  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 20-12-24

क्रमांक :- 100/2024/6830-33

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी साईयों का तला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण कुम्भाराम पुत्र सोनाराम वगैरह जाति जाट दुर्गाणियों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गंगाराम पुत्र कंगाराम वगैरह जाति जाट दुर्गाणियों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर